FORM-D

न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला गरियाबन्द (छ०ग०) (पीठासीन न्यायाधीश- प्रशान्त कुमार देवांगन)
(Date of Judgement) (निर्णय आज दिनांक 12/09/2024 को) दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-548/2021 CNR No.-CGRP05000634-2021 पी०ओ०आर० क्रमांक 12881/25 वन परिक्षेत्र - छुरा

शिकायतकर्ता	वन परिक्षेत्र छुरा जिला गरियाबंद,(छ०ग०) शिकायतकर्ता श्री छमेश्वर साहू वनरक्षक
राज्य द्वारा	श्री राम गोपाल दुबे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
अभियुक्त	संजय पिता भोजराम, उम्र-41 वर्ष, साकिन-ग वार्ड क्रमांक 15 छुरा नगर, थाना छुरा, जिला गरियाबंद (छ०ग०)
अभियुक्त की ओर से	श्री हरीश साहू अधिवक्ता

FORM-E

Date of offence	23/06/2021
Date of FIR	23/06/2021
Date of charge sheet	17/08/2021
Date of framing charges	22/08/2024
Date of commencement of Evidence	05/04/2024
Date of the judgement is reserved	-
Date of judgement	12/09/2024
Date of sentencing Order, if any	-

Accused details

Rank of the accused	Name of the accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during for trial for purpose of section 428 Cr.p.c
1	संजय पटेल	17.08.2021	17.08.2021	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41(ज) सहपठित धारा 42	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

FORM-F

S.NO	Description	Page No.
1	Heading of judgement	1
2	Appearance of Advocates	1
3	Charge	4
4	Admitted Facts	3
5	Prosecution story	3-4
6	Points for Determination	4
7	Reason for decision	5
8	Reasons	5-11
9	sentence	-
10	Period of detention and Set off	12
11	Disposal of property	12

12	Order of compensation	–
13	Certificate under section 428 Cr.pc	13
14	Warrant of commitment on a sentence	–
15	Copy of judgement	–

1– अभियुक्त पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41(1)(ज) सहपठित धारा 42 के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 23.06.2019 को स्थान–फर्नीचर मार्ट छुरा, थाना छुरा, जिला गरियाबंद छ0ग0, क्षेत्रांर्गत अपने गोदाम में साल चिरान 35 नग, बीजा चिरान 136 नग, सागौन चिरान 96 नग, ईमारती चिरान कुल 267 नग को अवैध रूप से इकट्ठा करके अपने आधिपत्य में रखा।

2– प्रकरण में कोई भी स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3– अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि वनरक्षक छमेश्वर साहू वन परिक्षेत्र छुरा में वनरक्षक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 23.06.2021 को वे वनविभाग के सर्च टीम के साथ आरोपी संजय पटेल फर्नीचर मार्ट का सर्च वारंट के तहत तलाशी किये। तलाशी के दौरान साल, सागौन, बीजा, जैसे ईमारती लकडी का चिरान अवैध रूप से इकट्ठा कर रखा गया था। जिसे उनके द्वारा जप्त कर साल, चिरान 35 नग, बीजा चिरान 136 नग, सागौन चिरान 96 नग कुल 267 नग जप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। जप्ती पत्रक तैयार कर जांच किया गया था तथा साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया।

अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41(1)(ज) सहपठित धारा 42 के अंतर्गत पी०ओ०आर० नंबर 12881/25 दिनांक 23.06.2021 जारी कर प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने पर मामला न्यायालय के संज्ञान में आया।

4– प्रकरण में प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41(1)(ज) सहपठित धारा 42 के अंतर्गत के तहत अपराध करना प्रतीत होने पर अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध स्वीकारोक्ति से इंकार किया। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रश्नावली के रुप में कथन परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुये बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5– प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

1– क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.06.2019 को स्थान–फर्नीचर मार्ट छुरा, थाना छुरा, जिला गरियाबंद छ०ग०, क्षेत्रांर्गत अपने गोदाम में साल चिरान 35 नग, बीजा चिरान 136 नग, सागौन चिरान 96 नग, ईमारती चिरान कुल 267 नग को अवैध रूप से इकट्ठा करके अपने आधिपत्य में रखा ?

2— दोष मुक्ति या दोष सिद्धि।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 पर विवेचना एवं निष्कर्ष

6— अ०सा०—01 मोहन निर्मलकर एवं अ०सा०—02 गजपाल ठाकुर ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये है कि वे आरोपी को पहचानते है। वे छुरा रेंज में दैनिक वेतन भोगी पर मजदूरी का कार्य करते है। घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वन विभाग के अधिकारी उनके समक्ष कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी कार्यवाही नहीं किये थे। साक्षीगण ने जप्ती पत्रक प्रपी—01 पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। घटना के संबंध में वनविभाग के अधिकारी उनसे पूछताछ कर उनका कथन दर्ज किये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीगण ने अभियोजन के सभी सुझावों से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षीगण ने स्वीकार किये है कि उन्होनें प्रपी—01 पर हस्ताक्षर किया था। उस समय कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। साक्षीगण ने स्वीकार किये है कि उन्होनें कोरे कागज में हस्ताक्षर किये थे। साक्षीगण ने स्वीकार किये है कि उनके गवाही को वन विभाग के अधिकारी द्वारा लिखा गया था। उनके बयान में क्या क्या लिखा था। उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया है। साक्षीगण ने स्वीकार किये है कि उनके बयान को वन विभाग द्वारा केवल उनका हस्ताक्षर लिया गया है। साक्षीगण ने स्वीकार किये है कि उन्होनें वन विभाग के सामने कोई बयान नहीं दिया है।

7– अ०सा०–04 सुरेश यादव, अ०सा०–05 परमेश्वर यादव एवं अ०सा०–06 किशन गिरी गोस्वामी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये है कि वे आरोपी को पहचानते है। घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वन पुलिस वाले उनके समक्ष कोई पंचनामा तैयार नहीं किये थे। तलाशी पूर्व पंचनामा प्रपी–04 एवं तलाशी पश्चात पंचनामा प्रपी–05 है। जिन पर उनके हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर उन्होनें वन पुलिस वालों के कहने पर किये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीगण ने अभियोजन के सभी सुझावों से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षीगण ने स्वीकार किये है कि घटना के समय कोरोना का संक्रमण चल रहा था, लोगों का आना जाना बंद था। साक्षीगण ने स्वीकार किये है कि निवास और फर्नीचर मार्ट अलग अलग है। साक्षीगण ने स्वीकार किये है कि तलाशी पूर्व पंचनामा एवं तलाशी पश्चात पंचनामा में क्या क्या लिखा गया है। उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया है। साक्षीगण ने स्वीकार किये है कि वन विभाग वालों के कहने पर उन्होनें हस्ताक्षर कर दिया था। साक्षीगण ने स्वीकार किये है कि इसके अलावा उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

8– अ०सा०–03 धनेश कुमार सिन्हा ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये है कि वे वर्ष 2021 में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी छुरा के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत थे। उसकी पदस्थापना के दौरान छमेश्वर साहू वनरक्षक द्वारा आरोपी संजय कुमार पटेल के कब्जे से 267 नग चिरान तथा बढाई समाग्री 13 नग साक्षियों के समक्ष प्रपी–01

के अनुसार जप्त कर पी०ओ०आर० क्रमांक 12881/25 प्रपी–02 के अनुसार पंजीबद्ध किया गया था। प्रपी–01 तथा प्रपी–02 पर वनरक्षक छमेश्वर साहू के हस्ताक्षर मौजूद है। जिसे वे जानते पहचानते है। प्रकरण में सरस्वती खाण्डे वनपाल को आरोपी संजय पटेल ग्राम छुरा की तलाशी हेतु तलाशी वारंट प्रपी–03 के अनुसार जारी किया गया था। जिस पर उदयसिंह ठाकुर उपवन मंडलाधिकारी गरियाबंद के हस्ताक्षर मौजूद है। जिसे वे जानते पहचानते है।

9– अ०सा०–03 धनेश कुमार सिन्हा ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किये है कि सरस्वती खाण्डे द्वारा आरोपी के छुरा अवस्थित फर्नीचर दुकान में साक्षियों के समक्ष तालाशी लिये जाने से पूर्व तलाशी पूर्व पंचनामा प्रपी–04 तथा तलाशी पश्चात ईमारती लक़डियों एवं लकड़ी का दरवाजा, खिडकी चौखट, लकड़ी काटने का औजार पर आरोपी के कब्जे से बरामद होने पर तलाशी पश्चात पंचनामा प्रपी–05 तैयार किया गया एवं प्रपी–06 के अनुसार प्राप्त लक़डियों वाणिज्यीक दर प्रपी–06, 07, 08 के अनुसार तैयार किया गया था। बढाई सामग्री की सूची प्रपी–09 के अनुसार तैयार किया गया था तथा सर्च वारंट पालन प्रतिवेदन प्रपी–10 के अनुसार तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया गया था। प्रपी–05, 06, 07, 08, 09, 10 पर वनपाल सरस्वती खाण्डे के हस्ताक्षर है। जिसे वे जानते पहचानते है। उनके द्वारा वनरक्षक एवं गवाहों तथा आरोपी का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया है। प्रपी–11 के अनुसार घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया

एवं प्रपी–12 के अनुसार आरोपी संजय पटेल की गिरफ्तारी उनके द्वारा की गई है। जिस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है। प्रकरण में सरस्वती खाण्डे का कथन संलग्न है। विवेचना पूर्ण होने पर उनके द्वारा परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

10– अ०सा०–03 धनेश कुमार सिन्हा ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि फार्म चालान, मुलजिम अदालत जो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वे किस दिनांक को पेश किया गया है। उसमें तिथि का उल्लेख नहीं है। लकड़ी के जप्ती के समय वे उपस्थित नहीं थे। जप्ती की कार्यवाही सरस्वती खाण्डे व छमेश्वर साहू के द्वारा की गई है। वे उक्त कार्यवाही में उपस्थित नहीं थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी संजय को किस दिनांक को गिरफ्तार किया गया है। उसमें तिथि का उल्लेख नहीं है। प्रपी–10 सरस्वती खाण्डे के द्वारा तैयार किया गया है। उनके द्वारा तैयार नहीं किया गया है। प्रपी–03 तलाशी के लिये वारंट उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। तलाशी पूर्व वारंट प्रपी–03 उप मंडल अधिकारी राजिम सरस्वती खाण्डे द्वारा जारी की गई है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि तलाशी एवं पचनामा प्रपी–04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 की कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रपी–04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 सरस्वती खाण्डे द्वारा की गई है। तलाशी कर्ता अधिकारी सरस्वती खाण्डे का बयान किसी ने नहीं लिया है।

11– अ०सा०–03 धनेश कुमार सिन्हा ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि उसने आरोपी संजय पटेल का बयान उनके बताये अनुसार नहीं लिखा है। बल्कि अपने मन से बढ़ा चढाकर लिखा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी संजय पटेल का बयान तलाशी दिनांक को नहीं लिया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी का बयान दिनांक 16.07.2021 को लगभग 20–21 दिनों बाद लिया है। साक्षी ने इंकार किया है कि उसने संजय पटेल के बयान में जप्ती का जो मात्रा लिखा है। उसे सजंय पटेल के बताये अनुसार ना लिखकर जप्ती के आधार पर लिखा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रपी–11 में आरोपी के घर के नक्शा नहीं बना है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रपी–11 का नक्शा उसने किसी भी गवाहों की उपस्थिति में नहीं बनाया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रपी–11 का नक्शे को उन्होनें किस दिनांक को कितने बजे बनाया है। इसका उल्लेख नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रपी–11 के नक्शे में आरोपी के दुकान के पास किसका किसका दुकान व मकान है। उल्लेख नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि तलाशी पूर्व पंचनामा उनके द्वारा तैयार नहीं किया गया है। इसलिये मौके पर कौन पंच उपस्थित थे। वे नही बता सकते।

12– अ०सा०–03 धनेश कुमार सिन्हा ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रपी–06, 07, 08, 09 में जप्तशुदा सामग्री बढ़ाई का सामान एवं चिरान लकड़ी किसके द्वारा कितनी मात्रा में जप्त की गई है। वे नहीं बता सकते। क्योंकि उक्त कार्यवाही उनके द्वारा

नहीं किया गया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि फर्नीचर दुकान में वे तलाशी के समय नहीं थे। इसलिये प्रपी–04 एवं 05 की कार्यवाही किसके और कब हुई नहीं बता सकते। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वे चुकि जप्ती के समय किसी भी प्रकार कार्यवाही में उपस्थित नहीं थे। इसलिये वे नहीं बता सकते कि आरोपी के घर एवं दुकान से क्या क्या सामग्री जप्त हुई है।

13– प्रकरण के सभी साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण अ०सा०–01 मोहन निर्मलकर एवं अ०सा०–02 गजपाल ठाकुर ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उन्होनें कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये थे। अ०सा०–04 सुरेश यादव, अ०सा०–05 परमेश्वर यादव एवं अ०सा०–06 किशन गिरी गोस्वामी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किये है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा वन विभाग के कहने पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किये है। इसी प्रकार अ०सा०–03 धनेश कुमार सिन्हा ने स्वीकार किया है कि वे जप्ती के समय उपस्थित नहीं थे और ना ही उनके द्वारा जप्ती की कार्यवाही किया गया है। उसके द्वारा प्रपी–04 से प्रपी–09 तलाशी पंचनामा की कार्यवाही भी नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा तलाशी पूर्व पंचनामा तैयार नहीं किया गया है तथा प्रपी–06 से 09 में जप्तशुदा सामग्री बढाई का सामान एवं चिरान लकड़ी किसके द्वारा कितनी मात्रा में जप्त की गई है। वे नहीं बता सकते। साक्षी ने स्वीकार किया है कि चुकि वे जप्ती के समय उपस्थित नहीं थे। इसलिये आरोपी के घर एवं दुकान से क्या क्या सामग्री जप्त हुई नहीं बता सकते।

14– प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण ने आरोपी द्वारा ईमारती चिरान लकड़ी अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखने एवं उसके कब्जे से जप्त किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। मात्र कोरे कागज पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किये है। प्रकरण में ऐसे किसी भी स्वतंत्र साक्षीगण का साक्ष्य प्रकरण में लेखबद्ध नहीं है। जिसने आरोपी के कब्जे से उनके फर्नीचर मार्ट दुकान से ईमारती चिरान लकड़ी को जप्त करते हुये देखा हो, जो अभियुक्त पर अधिरोपित आरोपों को प्रमाणित करें। अभियोजन द्वारा साक्षी छमेश्वर साहू तथा सरस्वती खाण्डे का साक्ष्य नहीं कराया गया है। इसलिये साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित दर्शित नहीं हो रहा है। अतः घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41(1)(ज) सहपठित धारा 42 का अपराध किया जाना साबित नहीं होता है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 साबित **" नहीं "** होता है।

—:विचारणीय प्रश्न क्रमांक–02 का निष्कर्ष एवं आधारः—

15– उक्त साक्ष्य विवेचना से, प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41(1)(ज) सहपठित धारा 42 की अंतर्वस्तु अप्रमाणित पाई जाती है। परिणामस्वरूप **आरोपी संजय पटेल पिता भोजराम पटेल, उम्र–41 वर्ष, साकिन–वार्ड क्रमांक 15 छुरा नगर, थाना छुरा, जिला गरियाबंद छ०ग०** को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41(1)(ज) सहपठित धारा 42 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16– आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा की कुल अवधि **"निरंक"** है।

17– आरोपी इस प्रकरण में पूर्व से जमानत पर है।

18– आरोपी की ओर से धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत पूर्व में प्रस्तुत जमानत एवं मुचलका, निर्णय दिनांक से 6 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

19– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति साल चिरान 35 नग, बीजा चिरान 136 नग, सागौन चिरान 96 नग, ईमारती चिरान कुल 267 नग का निराकरण अपील अवधि पश्चात अपील ना होने पर भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर उद्घघोषित किया गया ।

–सही–
प्रशांत कुमार देवांगन
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गरियाबंद छ०ग०

मेरे निर्देशन में टँकित
किया गया

–सही–
प्रशांत कुमार देवांगन
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गरियाबंद छ०ग०

–प्रमाण पत्र धारा 428 प्रक्रिया संहिता–					
क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी दिनांक	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	सेट–ऑफ की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	संजय पटेल	17.08.2021	17.08.2021	निरंक दि	निरंक

स्थान – गरियाबंद
दिनांक 12/09/2024

–सही–
प्रशांत कुमार देवांगन
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गरियाबंद छ०ग०